



प्रधान आयुक्त का कार्यालय, सीमा शुल्क, अहमदाबाद

सीमा शुल्क भवन, आल इंडीया रेडीऑ के बाजु मे, नवरंगपुरा, अहमदाबाद 380009

दूर भाष (079) 27544630 फेक्स (079) 27542343

OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS, AHMEDABAD
CUSTOMS HOUSE, NEAR ALL INDIA RADIO, NAVRANGPURA, AHMEDABAD 380009
PHONE: (079) 27544630 FAX (079) 27542343

निबन्धित पावती डाक द्वारा / By SPEED POST A.D.

DIN-20220471MN000000F619

आदेश की तारीख/Date of Order : 08.04.2022

जारी करने की तारीख/Date of Issue: 08.04.2022

द्वारा पारित/Passed by:- :- ललित प्रसाद, आयुक्त

Lalit Prasad, Commissioner

Order-In-Original No.: AHM-CUSTM-000-COM- 001-22-23 Dated 08.04.2022

- 1 जिस व्यक्ति(यों) को यह प्रति भेजी जाती है, उसे व्यक्तिगत प्रयोग के लिए निःशुल्क प्रदान की जाती है।
1. This copy is granted free of charge for private use of the person(s) to whom it is sent.
2. इस आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इस आदेश की प्राप्ति से तीन माह के भीतर सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण, अहमदाबाद पीठ को इस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। अपील सहायक रजिस्ट्रार, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण, दुसरी मंजिल, बहुमाली भवन, गिरिधर नगर पुल के बाजु मे, गिरिधर नगर, असारवा, अहमदाबाद-380 004 को सम्बोधित होनी चाहिए।
2. Any person deeming himself aggrieved by this Order may appeal against this Order to the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Ahmedabad Bench within three months from the date of its communication. The appeal must be addressed to the Assistant Registrar, Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, 2nd Floor, Bahumali Bhavan, Nr. Girdhar Nagar Bridge, Girdhar Nagar, Asarwa, Ahmedabad – 380004
3. उक्त अपील प्रारूप सं. सी.ए.3 में दाखिल की जानी चाहिए। उसपर सीमा शुल्क (अपील) नियमावली, 1982 के नियम 3 के उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। उक्त अपील को चार प्रतियों में दाखिल किया जाए तथा जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई हो, उसकी भी उतनी ही प्रतियाँ संलग्न की जाएँ (उनमें से कम से कम एक प्रति प्रमाणित होनी चाहिए)। अपील से सम्बंधित सभी दस्तावेज भी चार प्रतियों में अग्रेषित किए जाने चाहिए।